

(1)
B
C
D
II

AMENDMENT

Provided that for first promotion in the Service if number of persons substantially appointed and confirmed on the lowest post equal to the number of vacancies are not available than persons who have been appointed to the lowest post in the service after selection in accordance with one of the method of recruitment prescribed under these rules shall also be eligible if they fulfil other conditions of eligibility.

(No.F.7(8) DOPKA.II/78 Dated 13.5.80)

(4)

tions for the setting of papers and examination of answer books shall be issued by the Government. The result of each departmental examination shall be published by the Registrar in the newspaper or in such other manner as may be deemed fit. The Registrar will send the copy of such result to the concerned Administrative Department of the Government/Appointing Authority. Each candidate who is permitted to appear in the examination shall be intimated about his result by the Registrar on his address given in the application form."

[F. 6(1) DOP/A-II/75/Pt.-I]

Jaipur, August 31, 1982.

G. S. R. 64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers Rules, 1958, namely:—

1. (i) These rules may be called the Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers (Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

2. For the existing rule 6 of the Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers Rules, 1958, herein-after referred to as the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

“6. Composition and strength of the Service.—(1) The nature of post included in each category of the Service shall be such as may be specified in Column 2 of the Schedule.

(2) The strength of posts in each category of the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time:

Provided that the Government may:—

(a) create any post permanent or temporary from time to time, as may be found necessary, and may abolish or allow to lapse any such post in the like manner.

without thereby entitling any person to any compensation;

(b) leave unfilled or hold in abeyance any post permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation."

3. For the existing rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. Sources of Recruitment:—Recruitment to posts included in the service shall be made by the following methods in the proportion indicated in Column 3 of the Schedule:—

(a) by direct recruitment in accordance with part IV of these rules, and
 (b) by promotion in accordance with part V of these rules:

Provided that if the Government is satisfied, in consultation with the Commission, that suitable persons are not available for appointment by either methods of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules. (iii)

4. For the existing rule 15 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"15. Academic and Technical Qualifications and experience:—A candidate for direct recruitment to the post specified in the Schedule shall possess:—

(a) the qualifications given in Column 4 of the Schedule in addition to such experience as is required therein; and

(b) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and any one of the Rajasthani dialects, Ootawar, Kmauld & ~~or~~

5. For the existing Schedule appended to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:—
 त्रिभुवन नदी के बहुत बड़े वर्षा वर्षा वर्षा

"SCHEDULE 4"

S.No.	Name of post	Method of recruitment and percentage.	Minimum qualification for direct recruitment	Post from which promotion is to be made.	Experience for promotion	Remarks
1	2	E 3	100% by promotion	1. Chief Inspector of Factories and Boilers.	3 years experience on the post mentioned in Column 5.	
2		E 4	100% by promotion	2. Deputy Chief Inspector of Factories and Boilers.	4 years experience on the post mentioned in Column 5.	
3		E 5	100% by promotion	3. Senior Inspector of Factories and Boilers.	5 years experience on the post mentioned in Column 5.	
4		E 6	100% by direct recruitment	4. Inspector of Factories and Boilers.	B.E (Mechanical) from a University established by law in India or qualifications declared equivalent thereto by the Government.	[No. F. 1 (17) DOP/4-II/82]

five times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other) coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them."

[No.F.7 (I) DOP/A-II/81.]

By Order and in the name of the Governor,
गवर्नर राज्य,

Special Secretary to the Government.

कामिक एवं प्रशासनिक गुदाम विभाग
(कामिक-क-पुण-II)

प्रधिकूचना

जयपुर, जुलाई 7, 1983

खी. एग. आर. 29—मारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, इसकी अनुसूची में पथा-विनिविष्ट, राजस्थान के विभिन्न सेवा नियमों में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, प्रथमः—

संशोधन

इसकी अनुसूची के स्तम्भ नं. 2 में विनिविष्ट प्रत्येक सेवा नियम में, प्रत्येक के सामने स्थान संख्या 3 में व्यक्ति नियम के विघ्नमान उप-नियम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, प्रथमः—

(i) "पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संघर्ष में विचार करने के लिये संज्ञा-सीमा नियम प्रकार होगी :—

पात्र व्यक्तियों की संख्या
जिनके बारे में विचार किया
जाना है।

(ए) एक रिहित के लिए

पांच पात्र व्यक्ति

(ब) दो रिहितयों के लिए

आठ पात्र व्यक्ति

(ग) तीन रिहितयों के लिए

दस पात्र व्यक्ति

(घ) चार पा अधिक रिहितयों के लिए

रिहितयों की संख्या के

तीन गुने

(ii) जहाँ उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या कुतर विनिविष्ट संज्ञा से लग हो यहाँ इस प्रकार पात्र राष्ट्रत व्यक्तियों को विचार में लिया जायगा।

(iii) जहाँ ऊरर विनिविष्ट विधारण सीमा के भीतर व्यक्ति-राष्ट्रत व्यक्ति-पात्र-प्रथयों, व्यवस्थाओं, अनुसूचित जातियों या अनुषुचित जनजातियों में उपलब्ध नहीं हो यहाँ

राजस्थान, राजनीति, 13, 1983।

भाग 4 (ग)

पिंडारण सोमा रिक्तियों को संख्या के पांच मुना तक बढ़ाई जा सकेगी तथा वही दुई विचारण सोमा में आवेद्याले, 'प्रधानियति', 'शास्त्रमुचित' शास्त्रियों या शास्त्रमुचित जनजातियों के प्रत्यक्षियों (तथा कोई शास्त्र नहीं) को भी शारीरिक रिक्तियों के प्रति विचार गें, लिया जायगा।

(iv), राज्य भेदों के उच्चतम पद के लिए :-

(क) यदि पदोन्नति, पद के एक प्रवर्ग से हो तो "पदोन्नति" के लिए पांच पात्र व्यक्तियों को विचार में लिया जायगा।

(घ) यदि पदोन्नति उसी वेतनमान के पदों के विभिन्न प्रवर्गों से हो तो पदोन्नति व्यक्तियों को विचार में लिया जायगा।

(ग) यदि पदोन्नति भिन्न वेतनमान वाले पदों के विभिन्न प्रवर्गों से हो तो, उच्चतम वेतनमानों में के पात्र व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए पहले विचार में लिया जायगा तथा यदि उच्चतर वेतनमान में प्रयोग प्रवर्ग में से दो पात्र शाधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपपुक्त व्यक्ति न हो तथा पदोन्नति के लिए निम्नतर वेतनमानों में के अन्य प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों को विचार में लिया जायेगा तथा आवेद्य भी यही काम चलता रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों तक शामिल होगी।"

शास्त्रमुचिती

क्र. सं.	रेवा नियमों का नाम	उप नियम संख्या
1	राजस्थान प्रशासनिक रेवा नियम, 1954	नियम 28 छ का उप नियम (९)
2	राजस्थान पुलिस रायित रूल्स, 1954	नियम 28 ए का उप नियम (९)
3	राजस्थान अकाडम्स लियस रूल्स, 1954	नियम 28 ए का उप नियम (९)
4	राजस्थान सचिवालय रेवा नियम, 1954	नियम 11 छ का उप नियम (९)
5	राजस्थान इन्स्पेक्टर्स प्राफ रजिस्ट्रेशन एड	नियम 24 ए का उप नियम (९)
6	स्टाम्प दायित्व संबंधी रूल्स, 1954	नियम 24 ए का उप नियम (९)
7	राजस्थान रायित अौफ इनीशियर्स (इंजिनियर्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स) रूल्स, 1954	नियम 24 ए का उप नियम (९)
8	राजस्थान रायित अौफ इनीशियर्स (इंजीनियर्स) रूल्स, 1954	नियम 24 ए का उप नियम (९)
9	राजस्थान रायित अौफ इनीशियर्स (वो. एड.) रूल्स, 1954	नियम 24 ए का उप नियम (९)
10	राजस्थान रायित अौफ रेटिंग रेवा नियम, 1954	नियम 24 बी का उप नियम (९)
11	राजस्थान लेवर वेलफोर्म सर्विस रूल्स, 1958	नियम 23 ए का उप नियम (९)
12	राजस्थान रायित अौफ इकोनोमिक स्टडीस्ट्रिटिकल रूल्स, 1958	नियम 24 ए का उप नियम (९)
13	राजस्थान रायित अौफ रेटिंग रेवा नियम, 1958	नियम 23 ए का उप नियम (९)
	राजस्थान रायित अौफ रेटिंग रेवा नियम, 1959	नियम 23 ए का उप नियम (९)

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A—Gr. II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 20, 1993.

G. S. R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers Rules, 1958, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules:—

1. (i) The expression "and Inspector of Factories (Chemical)" shall be inserted between the expression "Inspector of Factories and Boilers" and "Rules, 1958" in the title and rule 1.

(ii) The expression "and Inspector of Factories (Chemical)" shall be inserted between the expressions "Inspector of Factories and Boilers" and "is a state Service" in rule 3.

(iii) The expression "and Inspector of Factories (Chemical)" shall be inserted between the expression "Inspector of Factories and Boilers" and "and" in rule 4(c).

2. (i) In the existing proviso to Rule 7, the figure and mark":—(i) "shall be inserted between the words "Provided that" and "if the Government".

(ii) In rule 7 the following new proviso (ii) shall be added, namely:—

"(ii) The person/persons appointed to the post of Inspector of Factories (Chemical) on adhoc/officiating/temporary basis and working as such continuously for a period of not less than two years as on 31-3-89 shall

be screened by a Committee referred to in rule 23 (2) for adjudging his/their suitability on the post held and shall be appointed to the said post/posts in the Service, if he/they possessed the qualifications prescribed for the post/posts either for direct recruitment or for promotion, as the case may be, at the time of recruitment. The seniority of the person/persons so screened regularly shall be determined according to length of continuous service on this post/posts."

3. The existing rule 11 shall be substituted by the following except the provisos thereto, namely:—

"11. Age:—A candidate for direct recruitment to a post in the Service must have attained the age of 23 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of January next following the last date fixed for receipt of applications."

4. The existing rule 12 shall be substituted by the following, namely:—

"12. Academic and Technical Qualification & Experience:—A candidate for direct recruitment to a post specified in the Schedules shall possess:—

- (a) The qualification given in column 4 of the Schedule in addition to such experience as is required therein; and
- (b) Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani culture.

5. The existing Rule 15 shall be deleted.

6. The existing Schedule shall be numbered as Schedule-I and thereafter the following Schedule-II shall be added, namely:—

SCHEDULE-II

S.No.	Name of Post	Mode of recruitment & percentage	Minimum qualification for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Experience for promotion	Remarks
1.	Dy. Director Safety Museum & Training Centre.	100% by direct recruitment	Degree in Mech. Engineering of a University established by law in India or a Degree or Diploma etc Foreign Uni- versity or Institution declared by the Government to be equivalent to a Degree in Mech. Engineering of a University established by law in India with 5 years Experience of working as Safety Officer in an Industrial Establishment & must hold Diploma in Industrial Safety given by Central Labour Institute, Bombay or Equivalent. Ph. D. in Chemistry with 3 years experience of working in Research Laboratory or in a recognised University. OR M. Sc. Degree in Chemistry with 7 years experience of working in an Industrial Hygiene Laboratory of repute.	B.E. (Chemical) of a University established by law in India or qualifications declared equivalent thereto by the Govt.	5	6
2.	Dy. Director Industrial Hygiene Laboratory.	100% by direct recruitment	N.			
3.	Inspector of Factories (Chemical)	100% by direct recruitment				

(No. F.I.D) DOP/A/II/21.
By Order and in the name of the Governor,
R. Ch. TPS,

Secretary to the Government.

ਫੰਕ: ਰਾਨ: 751 ਕਿਰਾਇਕ/ਪ-2/96 ਜਾਹਾਜ਼, ਦਿੰਤਾਫ । ੩ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997

0791-1094(1993)11:3;1-2

॥ ५ ॥ यह बाहुदार विद्या अपनी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है।

मारा के संचिपन के गुच्छेदारी 309 के परन्तु उत्तर प्रदत्त शाखियों

का प्रश्नोग्... फरते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ गवर्नर गवर्नरी में प्रभाविति द्वितीय विधि-नियमों में दूनमें जारी होने वाली विधि से, जिसे दारा, नियन्त्रित करने के बाब्ति

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ مُحْكَماً بِمَا يَرَى

०६१ अंतिम वार्षिक विप्रवाचन

...and I am not the only one who has been thinking about this.

क्षेत्रे गाय रंगम् गृह्णतीः द्वे रुपानि २ में प्रधाविति प्रथेक लेखा शिख
के गामने रुपानि रंगया ३ में प्रधाविति निधा ने दिव्यान्तरंगतिं परन्तु ५
प्रधाव उगती रुप रंगया पर निरुद्धिति निधा परन्तु जोङ्ग जापेता अपि ताः -

१८. ब्रह्मांडी, फ. पदि किरणि गुप्तादिति रिक्ति पर गनाचित्

जीति गंधर्वा गन्तुम् यिता लृत्वजाति रो राम्यं धिति किंश्चि उम्मीदवा तर-

*** को गणि राधारु पूर्वी में उत्तरी परिक्षा नामांकन
के प्रस्ताव की बाबत है।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਾਨੂੰ ਹਾਲ ਜਿਥੇ ਮਾਤ ਮੋਹਾ ਗਗਲੇ
ਤਾਨੂੰ ਹਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੋਲੇ

पदोन्नत कर दिया जाता है, से पहले पदोन्नत हुए हैं।

पर्याप्त नहीं कर दिया जाता है, इस तरह अन्य/अन्य पिछले दो वर्षों का उद्देश्यात्मक उत्तर गया है। अतः यहाँ मार्ग से दूर है।

प्रकार से पहले पदोन्नत शिखें गये गंगाचित अपनी वार

गुरुचित अनजाति के उम्मीदवारकी गेपेक्षा गपनी
हमिंग्वे

परिषठारा दोबरारा पुराप्ता कर लेगा ।

— १८७ —

১০৮ গুরু পঞ্চমী পূজা

संस्कृत विद्या का अध्ययन

विप्रार्थ विषय का नाम

का अनुयायी है।

30

प्राप्त प्रतारानिका देवर निधि, 1954 : 33

३३

यान तथा अस्ति निया, 1954 32
यान अधिकारी विजय देवर चित्र

पान रजिस्ट्रीकरण पूँछ स्टार्टिप नियम १३

निका, १९५४ ईव संस्कृत विद्यालय 27

અર્થ ગુરુપદ્ધાર સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ એવ પંતિકાની
ગ્રંચિયા, ૧૯૫૪ ૨૦

४० अप्रैल, १९३५ अग्रिमनारा गोरु गंगापात्र अम्बिकारी ३२

માનતાનું પારાપરાનું અધિકારાનું હાજર કરીએ નિયમ, ૧૯૫૬ 28

સુરત નાગરિકનાં પ્રેરણ થયાન એવ પણ કરાચાર 20
1954

9.	राजस्थान राहगारी रेवा निया, 1954	28
10.	राजस्थान श्रम कल्याण रेवा निया, 1958	26
11.	राजस्थान ग्रामीकरण संघ तांचियको रेवा निया, 1958	31
12.	राजस्थान फैद्री, गोरक्षनालय निरीक्षक रेवा निया, 1958	29
13.	राजस्थान कारागार रेवा निया, 1959	27
14.	राजस्थान राजपदिग्दीपा रेवा निया, 1959	29
15.	राजस्थान राजकीय पुद्रणालय रेवा निया, 1960	32
16.	राजस्थान नियोजन कार्यालय रेवा निया, 1960	27
17.	राजस्थान बान संघ भूर्गमी रेवा निया, 1960	27
18.	राजस्थान कृषि रेवा निया, 1960	29
19.	राजस्थान उपोत्तर रेवा निया, 1960	28
20.	राजस्थान पुरातात्व संघ तांचियक रेवा निया, 1960	27
21.	राजस्थान उदान रेवा निया, 1962	30
22.	राजस्थान चिकित्सा रेवा गड़गढ़ धिपालय शाखा निया, 1962	31
23.	राजस्थान वन रेवा निया, 1962	35
24.	राजस्थान पशुपालन रेवा निया, 1963	27
25.	राजस्थान ताज बन्याणा रेवा निया, 1963	28
26.	राजस्थान धिक्कित्ता संघ रेवा निया, 1963	27
27.	राजस्थान अन्तराम्भी रेवा निया, 1966	29
28.	राजस्थान नगर नियोजन रेवा निया, 1966	28
29.	राजस्थान प्राचीप धिपा गुरुंपांगे तांचियक रेवा निया, 1967	29
30.	राजस्थान ग्रामकारी नियारक ग्रामकारी रेवा निया, 1967	22
31.	राजस्थान ग्रामियन्ता रेवा गड़गढ़ धिपालय शाखा निया, 1968	29
32.	राजस्थान शूजल रेवा निया, 1969	28
33.	राजस्थान शिक्षा रेवा निया, 1970	28
34.	राजस्थान वार्षिक नियोजन रेवा निया, 1971	21
35.	राजस्थान शिक्षा रेवा गड़गढ़ धिपालय शाखा निया, 1986	33
36.	राजस्थान ग्रामीकी धिपा रेवा निया, 1973	28
37.	राजस्थान वार्षिक सा. नि. धि. ग्राम संघ पथ शाखा रेवा निया, 1973	20
38.	राजस्थान ग्रामीकी धिपा रेवा निया, 1973	31
39.	राजस्थान ग्रामीकी पुस्तकालय रेवा निया, 1975	27
40.	राजस्थान पुरालेख रेवा निया, 1975	27
41.	राजस्थान दृष्टि संघ ऊन रेवा निया, 1975	27
42.	राजस्थान डिपालियकी रेवा गड़गढ़ धिपालय शाखा निया, 1975	27
43.	राजस्थान बाप संघ नांदिल ग्रामीरी रेवा निया, 1976	26
44.	राजस्थान परिवन रेवा निया, 1976	31

46.	राजस्थान ग्रामकारी सेवा इंसामान्य शाखाएँ निपां, 1974	15
47.	राजस्थान तंस्कृत शिक्षा सेवा निपां, 1977	20
48.	राजस्थान गमियोजन सेवा निपां, 1978	12
49.	राजस्थान मुहियाँन सेवा निपां, 1979	27
50.	राजस्थान पुनिस न्याय तंबंधी विज्ञान सेवा निपां, 1979	27
51.	राजस्थान राज्य उपग्रह तंवां निपां, 1979	27
52.	राजस्थान परिवहन सेवा निपां, 1979	20
53.	राजस्थान पाहलाल पाठ्यक्रम एवं शासी ट्रिक प्रयोगान् ग्रन्तियाँ रोपाँगवाक्यालय शाखाएँ निपां, 1980	12
54.	राजस्थान जिला गेडियाँ रोपां निपां, 1980	27
55.	राजस्थान पिधिक सेवा इराज्य एवं गपीनस्थ निपां, 1981	31
56.	राजस्थान पिधि रचना रोपां राज्य एवं गपीनस्थ निपां, 1981	31
57.	राजस्थान गपीनस्थ देवरथान सेवाएँ शेणी-प्रौद्योगिकी निपां, 1954	27
58.	राजस्थान गपीनस्थ देवरथान सेवाएँ शेणी-प्रौद्योगिकी निपां, 1954	27
59.	राजस्थान गोट्टर ब्रेकर जेल निपां, 1958	—
60.	राजस्थान गपीनस्थ सहकारी सेवाएँ शेणी-प्रौद्योगिकी निपां, 1955	31
61.	राजस्थान गपीनस्थ सहकारी सेवाएँ शेणी-प्रौद्योगिकी निपां, 1955	27
62.	राजस्थान तहतीतदार सेवा निपां, 1956	32
63.	राजस्थान गपीनस्थ सेवा शुगरी गोरा सेवा की गन्ध शर्तों निपां, 1960	21
64.	राजस्थान खान एवं शुगरी गपीनस्थ सेवा निपां, 1960	20
65.	राजस्थान गपीनस्थ लेखा रोपां निपां, 1963	31
66.	राजस्थान धन गपीनस्थ गपीनस्थ रोपां निपां, 1963	29
67.	राजस्थान तगाज कल्याण गपीनस्थ सेवा निपां, 1963	27
68.	राजस्थान परिवहन गपीनस्थ सेवा निपां, 1963	28
69.	राजस्थान उषान गपीनस्थ सेवा निपां, 1965	28
70.	राजस्थान चिकित्ता एवं स्वास्थ्य गपीनस्थ सेवा निपां, 1965	28
71.	राजस्थान उपोग गपीनस्थ सेवा निपां, 1966	29
72.	राजस्थान ग्रामवेदिक पनांपी होम्योपैथी गोर प्राकृतिक चिकित्ता विद्वान गपीनस्थ सेवा निपां, 1966	30
73.	राजस्थान गभियाँत्रिकी गपीनस्थ सेवाएँ जनरथान्य शाखाएँ निपां, 1967	29
74.	राजस्थान गभियाँत्रिकी गपीनस्थ सेवाएँ तिंचाँड शाखाएँ निपां, 1967	28
75.	राजस्थान पुरालेख गपीनस्थ सेवा निपां, 1968	29
76.	राजस्थान विद्या गपीनस्थ सेवा निपां, 1971	29
77.	राजस्थान सांचियकी गपीनस्थ सेवा निपां, 1971	20
78.	राजस्थान राजकीय युद्धालय गपीनस्थ सेवा निपां, 1973	31
79.	राजस्थान तकनीकी विद्या गपीनस्थ सेवा निपां, 1973	31
80.	राजस्थान गपीनस्थ गमियाँत्रिकी इता. नि. गवर्न एवं पथ शाखाएँ सेवा निपां, 1973	31
81.	राजस्थान गू-जल गपीनस्थ सेवा निपां, 1973	31
82.	राजस्थान नगर नियोजन गपीनस्थ सेवा निपां, 1974	31
83.	राजस्थान खाद्य एवं शाखाएँ गपीनस्थ सेवा निपां, 1974	31
84.	राजस्थान ग्रामकारी गपीनस्थ सेवा इंसामान्य शाखाएँ निपां, 1974	27
85.	राजस्थान पुनिस गपीनस्थ सेवा निपां, 1989	36

1	2	3
86.	राजस्थान लालीकी गपीनरूप रोबा नियम, 1975	27/-
87.	राजस्थान चाणिज्यक कर गपीनरूप रोबा शाखा नियम, 1975	27/-
88.	राजस्थान बेड़ एवं ऊन गपीनरूप रोबा नियम, 1975	31/-
89.	राजस्थान जन सम्पर्क गपीनरूप रोबा नियम, 1975	31/-
90.	राजस्थान राजस्व लेखा गपीनरूप रोबा नियम, 1975	31/-
91.	राजस्थान कारागार गपीनरूप रोबा नियम, 1976	26/-
92.	राजस्थान गावकारी गपीनरूप रोबा शिवारक शाखा नियम, 1976	26/-
93.	राजस्थान राजग उपक्रम गपीनरूप रोबा नियम, 1976	26/-
94.	राजस्थान पशुगालन गपीनरूप रोबा नियम, 1977	30/-
95.	राजस्थान कृषि गपीनरूप रोबा नियम, 1978	31/-
96.	राजस्थान गोदूत विद्या गपीनरूप रोबा नियम, 1978	32/-
97.	राजस्थान गणियोजन गपीनरूप रोबा नियम, 1978	30/-
98.	राजस्थान गोटर मेराज गपीनरूप रोबा नियम, 1979	27/-
99.	राजस्थान विद्या गपीनरूप रोबा शूगह विद्यालय शाखा नियम, 1979	27/-
100.	राजस्थान पुलिस नियम गंवंपी विद्यालय गपीनरूप रोबा नियम, 1980	31/-
101.	राजस्थान राजिट दाउत गपीनरूप रोबा नियम, 1979	31/-
102.	राजस्थान गपीनरूप कायनिय लिपिक वर्गीय स्टाफ नियम, 1957	27/-
103.	राजस्थान गचियालग लिपिक वर्गीप रोबा नियम, 1970	29/-
104.	राजस्थान राज्य लोक प्रगातान संस्थान रोबा नियम, 1990	12/-
105.	राजस्थान देवस्थान रोबा नियम, 1991	12/-
106.	राजस्थान गुरुद भेणी रोबा शूगरी गोटर रोबा की गन्ध शर्त नियम, 1963	19/-
107.	राजस्थान राजग कृषि विष्णन रोबा नियम, 1906	27/-
108.	राजस्थान काम्प्युटर राज्य एवं गपीनरूप रोबा नियम, 1992	34/-

राजस्थान के गोद्या गोर नाम है।

गोरजाल बेद्वाल
उप शासन गचिव

31.3.97

15/97

15.97.98

14.98

13.98

103/95
11/11/2000



राजस्थान राज-पत्र	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZETTE
विशेषक	Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अप्रृद्दित ३, बुधवार, शाके १९२१—नवम्बर २४, १९९९
Agrahuyana 3, Wednesday, Saka 1921—November 24, 1999

गांग ४ (ग)

उप-खण्ड (१)

राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों
उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनों नियम।

कानूनिक (क-२) विभाग

श्रद्धिमूल्यनो

जामुर, नवम्बर १९, १९९९

जी.एस.आर. ७:—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परम्परुक द्वारा
प्रदत्त शासितयों को प्रथम पर्ते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मार्गवाहा
तथा वायलर नियोक्त और कारब्बना नियोक्त (रसायन) रोका नियम, १९५८ में,
इसके द्वारा, नियमनिवित संशोधन करते हुए, अधिकारिः—

संशोधन

जाति नियमों में संलग्न अनुमूल्यों// में विद्यमान कम संघा ३ और उत्तरकी

S. S. COOPER AND E. B. COOPER

Rajasthan hereby makes the following amendment in the Rules, 1953, namely:—
AMENDMENT
After the existing serial No. 3 and entries thereto the following
and Inspectors of factories (chemical) Rules, 1953, namely:—

राजस्थान राज-पत्र; नवम्बर 24, 1999

157 (3)

Serial No.	4 and entries under	3	2	1	4
"A.	Assistant Director, Industrial Safety Museum & Training Centre.	50/- by direct recruitment & 50/- by promotion.	1. Degree in Mechanical or Electrical Engineering of a University established by law in India or recognized as equivalent thereto by Government.	Technical Assistant (Electrical)	Degree in Electrical or Mechanical or Chemical Engineering of a University established by law in India or equivalent thereto as equivalent experience on Govt. and 3 years' experience on the post mentioned in Column No. 5.
					or Diploma in Electrical or Chemical Engineering of a recognized Board with 10 years experience on the post mentioned in Column No. 5."
					[No. F. I. (2) Dop/A-II/92] and in the name of the Governor,

By Order and in
प्रति प्रति शर्मा,
Deputy Secretary to the Government,

Government Central Press, Jaipur